2024/272

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट

श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री चुन्नीलाल
निवासी रातेला झुपडी वाली गली,
पोसालिया तहसील शिवगंज
जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत पोसालिया

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 59 वर्ष 2024

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
16.10.2024	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पोसालिया को दिनांक 18.07.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि श्री परिदान मारसा के घर के सामने जहां वृक्ष खडा है व श्री वागजी राव के प्लॉट में खण्डर मकान है, उसके पश्चिम दिशा में श्री शेरसिंह पुत्र श्री हडमतसिंह राव निवासी पोसालिया अपना पट्टाशुदा प्लॉट बता रहा है। यदि उस प्लॉट का पट्टा पंचायत द्वारा बना हुआ है तो उस पट्टे की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पोसालिया को दिनांक 18.07.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि श्री परिदान मारसा के घर के सामने जहां वृक्ष खडा है व श्री वागजी राव के प्लॉट में खण्डर मकान है, उसके पश्चिम दिशा में श्री शेरसिंह पुत्र श्री हडमतसिंह राव निवासी पोसालिया अपना पट्टाशुदा प्लॉट बता रहा है। यदि उस प्लॉट का पट्टा पंचायत द्वारा बना हुआ है तो उस पट्टे की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पोसालिया से सम्बन्धित है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पोसालिया के प्रथम अपील अधिकारी जिला कलक्टर सिरोही नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified

Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:34:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner